सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 305 राँची, मंगलवार, 9 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

शुद्धि पत्र

8 मई, 2026

ज्ञापांक-राज 01/म0स0/राज0स्था0-89/2026- 1708--

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-1550 दिनांक-21.04.2026 द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, 2023 (विज्ञापन संख्या-21/2023) के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्न अभ्यर्थियों को झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों सहित अधिसूचना में निहित अन्य शर्तों के अधीन मूल कोटि के वेतनमान (रू0 9300-34,800/-ग्रेड पे0- रू0 5400/-, सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-9) में परीक्ष्यमान रूप से योगदान की तिथि से औपबंधिक रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना की कंडिका-59 (क्रमांक-23625615) में अंकित ''रेश्मी लकड़ा'' को ''रेशमी लकड़ा'' पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1550 दिनांक-21.04.2026 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

प्रीति सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 305 - 50